ओ. को तहसील प्रशासन की क्रियाओं के विरूद्ध शिकायत सुनने के प्रारम्भिक अधिकार दिये हैं। नागरिकों के बीच के राजस्व मामले यदि तहसीलदार सुनता है तो उसमें अपील के अधिकार एस. डी. ओ. को दिये गये हैं। एस. डी. ओ. का न्यायालय प्रतिदिन लगता है तथा विवाद से संबंधित पक्ष अपने वकीलों सहित प्रस्तुत होते हैं।

(2) नियामकीय कार्य

जिले में तहसील कार्यालय नियामकीय कार्यों के लिए जिम्मेदार है। इन कार्यों में राजस्व से संबंधित कार्य आते हैं जैसे भू–राजस्व, भूमि के रिकॉर्ड, भूमि के नक्शे, भूमि सुधार, चकबन्दी, अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण एवं वितरण, सरकारी भूमि का प्रबन्ध, फसलों से सम्बन्धित रिकॉर्ड तथा आँकड़े आदि। इसी प्रकार उपयोगी वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था जैसे चीनी, मोटा कपड़ा, अभाव की स्थिति में खाद्यान्न, सीमेन्ट, मिट्टी का तेल आदि की राशनिंग भी इसी श्रेणी में आती है। राज्य सरकार के ऐसे कानून को लागू करना जिसमें नागरिकों को किसी क्रिया से रोका गया हो जैसे लाइसेंसिंग, विस्फोटक पदार्थों पर नियंत्रण, मिलावट, जखीरेबाजी, कालाबाजारी आदि की रोकथाम इत्यादि सभी क्रियाएं नियामकीय कार्यों में आती है। एस. डी. ओ. इन सब कार्यों के लिए अपने उप–खण्ड में पूर्णतः जिम्मेदार है। वह निरीक्षण करता है, छापे मारता है, शिकायतें सुनता है तथा भ्रष्टाचार को सीमित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करता है।

(3) दण्डनायक के रूप में

एस. डी. ओ. को अपने उपखण्ड क्षेत्र में व्यवस्था कायम करने के लिए दण्डनायक की शक्तियाँ दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसे एस. डी. एम. कहा जाता है। क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, इस अधिकारी को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये जाते हैं। न्यायिक कार्यों के कार्यपालिका से अलगाव के सिद्धान्त के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की सभी धाराएँ मुंसिफ मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई हैं। फिर भी उसके पास फौजदारी के अनेक अधिकार हैं।

(4) निरीक्षण सम्बन्धी कार्य

आधारभूत रूप से इस पद की स्थापना तहसील प्रशासन पर नियंत्रण के लिए की गई है। जिला कलेक्टर के नियंत्रण के क्षेत्र की समस्या का समाधान एस. डी. ओ. के माध्यम से किया गया है। पटवारी तथा राजस्व निरीक्षकों (गिरदावर) के सन्दर्भ में एस. डी. ओ. को अनुशासनिक कार्यवाही की शक्तियाँ दी गई हैं। वह क्षेत्र में भ्रमण करता है और भूमि अभिलेखों की नमूने के आधार पर जांच करता है। राजस्थान भू–राजस्व नियमों के अनुसार, वह प्रत्येक तहसील में सदर कानूनगो के अभिलेखों का 1/5 भाग प्रतिवर्ष स्वयं देखता है। वसूली के समय आने वाली कठिनाइयों को देखना उसकी विशेष जिम्मेदारी है। वर्ष में दो बार प्रत्येक तहसील का निरीक्षण करना, 24 पटवार हलकों के 45 गाँवों की गिरदावरी की जाँच करना, इसके लिए एक वर्ष में कम से कम 80 दिन तथा 60 रात्रि मुख्यालय से बाहर व्यतीत करना उसके लिए अनिवार्य है।

(5) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य

एस.डी.ओ. निर्वाचन की दृष्टि से पंजीयन अधिकारी होता है। वह मतदाता सूची को नवीनतम बनाये रखता है। नये मतदाताओं के नाम दर्ज करना, मतदाता न रहने पर नाम हटाना आदि इसी अधिकारी की देखरेख में होते हैं। एस. डी. ओ. लोक सभा चुनाव के लिए उप चुनाव अधिकारी तथा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी होता है। वह अपने क्षेत्र में चुनाव की पूरी व्यवस्था करता है।

सामान्यतः यह अनुभव किया जाता है कि एस. डी. ओ. का राजस्व न्याय के अतिरिक्त कोई अपना कार्य नहीं है। वह जिला कलेक्टर के आदेशों को तहसील तक तथा तहसील के प्रतिवेदनों को जिला कलेक्टर तक पहुंचाने का कार्य ही करता है। अतः वह मात्र डाकघर का कार्य करता है।

इस प्रकार तहसील स्तर पर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, तहसीलदार होता है।

तहसीलदार (Tehsildar)

तहसीलदार राजस्थान तहसील सेवा का अधिकारी होता है। इस पद पर नायब तहसीलदार से पदोन्नत होकर आते हैं। नायब तहसीलदार पद पर नियुक्तियाँ 66 प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती से होती है। शेष 34 प्रतिशत पदों पर राजस्व निरीक्षकों से पदोन्नत होते हैं। तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों की नियुक्ति राजस्व मण्डल द्वारा की जाती है। इन पदों को अधीनस्थ सेवाओं में रखा गया है। इस पद पर प्रशिक्षण के लिए सर्वउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, टोंक में भेजा जाता है। वहां उन्हें 18 माह के लिए दीवानी तथा फौजदारी प्रक्रिया, भारतीय दण्ड संहिता, राजस्थान काश्तकारी कानून 1955, भू–राजस्व अधिनियम आदि विषयों पर ज्ञान कराया जाता है। साथ ही पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस आदि से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी भी इनके समक्ष व्याख्यान देते हैं। उन्हें कुछ समय के लिए एक गाँव का व्यावहारिक रूप से सर्वेक्षण एवं भू–प्रबन्धक कागजात तैयार करने का काम दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति होती है।

व्यवस्था की जिम्मेदारी तहसीलदार की है।

तहसीलदार, तहसील में राज्य का अभिकर्ता होता है। वह तहसील की जनता के समक्ष राज्य तथा जिला प्रशासन के समक्ष नागरिकों की बात रखता है। यद्यपि औपचारिक रूप से उसे बहुत से कार्य नहीं सौंपे गये हैं किन्तु अनौपचारिक रूप से उसे जिला कलेक्टर की अनेक जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती है। कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से उसे मजिस्ट्रेट के अधिकार भी दिये गये हैं। निर्वाचन, विदेशियों का प्रबन्ध, मुख्य अतिथियों का स्वागत, अनेक सामान्य कानूनों आदि दायित्वों का भी उसे निर्वहन करना होता है।

लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के कारण जनस्थिति के अनुसार रोजगार योजना, काम के बदले अनाज, अन्त्योदय, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 संकल्प, परिवार नियोजन पखवाड़ा आदि योजनाएँ निरन्तर सरकार संचालित करती है। इन सबकी व्यवस्था भी तहसीलदार ही करता है। तहसीलदार सभी प्रकार के आंकड़े एकत्र करने के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक व्यक्ति माना जाता है। देश के नियोजन का बहुत कुछ आधार यही आँकड़े बनते हैं। जनगणना, कृषि सर्वेक्षण, भूमि के उपयोग सम्बन्धी सूचनाएँ तथा पशु सर्वेक्षण आदि प्रमुख रूप से तहसीलदार की देखरेख में पूरे किये जाते हैं।

ऐसा प्रमुख अधिकारी स्वतंत्रता के पश्चात् भी प्रजातंत्र की दृष्टि से नियामकीय तथा नकारात्मक समझा जाता है। तहसीलदार का जनता से सबसे अधिक सम्पर्क रहता है और उसकी छवि एक रूखे, अड़ियल तथा भ्रष्ट अधिकारी की है। विचारणीय बिन्दु यह है कि ऐसे अधिकारी को किस प्रकार जनसेवक का रूप दिया जाये।

पटवारी (Patwari)

जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन की व्यवस्था में जिलाधीश, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी प्रमुख कार्मिक होते हैं। इनमें से पटवारी सबसे निचले स्तर का, किन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्मिक होता है।

पटवारी पदनाम संभवतः मुस्लिम शासकों की देन है लेकिन राजा के लिए भू–राजस्व एकत्र करने वाला यह कार्मिक उतना ही प्राचीन हैं जितनी कि राजशाही व्यवस्थाओं की ऐतिहासिक परम्परा। ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ तक यह पद सरकार से स्वतंत्र था। यह गॉव का नौकर होता था और गाँव से ही वेतन प्राप्त करता था। सन् 1873 के राजस्व कानून के अधीन ही इस पद को सरकारी माना गया।

राजस्व कार्यों के लिए एक तहसील को कुछ पटवार क्षेत्रों (सर्किल) में विभाजित किया जाता है। एक पटवार सर्किल एक या अधिक गॉवों के समूह से बनता है। इसके निर्धारण के लिए खेतों की संख्या, कृषि क्षेत्र व अनुमानित राजस्व को ध्यान में रखा जाता है। पटवार सर्किल की स्थापना एवं परिवर्तन भू लेख निदेशक नामक पदाधिकारी कर सकता है लेकिन उसके लिए इसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होती है।

प्रत्येक पटवार सर्किल के लिए एक पटवारी रखा जाता है। उसे विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे– उत्तर प्रदेश में लेखपाल, तामिलनाडु में करनन, महाराष्ट्र में तलैटी तथा राजस्थान आदि में पटवारी। सभी राज्यों में इस कर्मचारी को बहुत महत्त्व दिया जाता है। जन सामान्य में यह कहावत है कि 'ऊपर करतार तथा नीचे पटवार'। राजस्थान में लम्बरदार के पद की समाप्ति से इस पद का महत्व और अधिक बढ़ा है। लम्बरदार के रूप में शासन द्वारा गाँव का मुखिया नियुक्त होता था जो राजस्व एकत्र करवाने के लिए उत्तरदायी था तथा कानून एवं व्यवस्था में सहयोग करता था। लम्बरदार पद सामन्ती मूल्यों का पोषक था अतः इसे 1963 में समाप्त कर दिया गया और पटवारी पद का सृजन किया गया।

भर्ती एवं प्रशिक्षण (Recruitment and Training)

राजस्थान में पटवारी के पद पर भर्ती का अधिकार राजस्व मंडल को दिया गया है। इस सम्बन्ध में नियम राजस्व मंडल द्वारा ही बनाये जाते हैं। राजस्व मंडल द्वारा निर्मित नियमों के अनुरूप प्रत्येक जिले में पटवारी पद पर भर्ती का कार्य जिलाधीश द्वारा किया जाता है। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक स्तर तक की मानी गयी है। भर्ती के लिए एक समिति बनायी जाती है जिसमें जिलाधीश, उप खंड अधिकारी तथा राजस्व मंडल के एक सदस्य को रखा जाता है। प्रत्याशियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

चयन के पश्चात् चयनित प्रत्याशियों को राजस्व प्रशिक्षण स्कूल, टोंक में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। लगभग नौ माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के मध्य उसे भाषा, गणित, भूगोल, सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेख कार्य आदि व्यावहारिक विषय पढाये जाते हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को पटवार पत्रावलियों को तैयार करना, सर्वे करना तथा राजस्व विधियों एवं आदेशों का व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें मासिक भत्ता दिया जाता है। अन्त में राजस्व मंडल द्वारा आयोजित एक विभागीय परीक्षा होती है। परीक्षा में उत्तीर्ण पटवारियों को राजस्व मंडल विभिन्न जिलों में मॉग के अनुसार भेज देता है जिनकी पटवार सर्किल में नियुक्ति जिलाधीश द्वारा की जाती है।

पटवारी के स्थानान्तरण एवं अनुशासन की शक्तियाँ जिलाधीश को ही दी गई हैं। पटवारी के लिए यह अनिवार्य होता

7. सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य (Satistical Functions)

पटवारी अपने पटवार क्षेत्र के सभी ग्रामों की भू–राजस्व, फसल, पशुधन, सिंचाई आदि से संबंधित सांख्यिकी का एकत्रण कर उन्हें जिलाधीश के माध्यम से राजस्व मंडल को सम्प्रेषित करता है। इस सांख्यिकी को एकत्रित करने लिए पटवारी को निरन्तर भ्रमण करने पडते हैं तथा विभिन्न स्त्रोतों से सूचनाओं को प्राप्त करना पडता है।

8. पंचायतीराज संस्थाओं से सम्बन्धित कार्य (Functions Related To Panchayati Raj Insititutions)

पटवारी पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो को निष्पादित करता है। इन संस्थाओं के चुनावों के समय मतदान दलों की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था करने का दायित्व पटवारी का ही होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में पटवारी ग्राम पंचायत की वित्त व कर समिति की कार्यवाहियों में मुख्य सहायक की भूमिका निभाता है।

9. **विविध कार्य (Other Functions)**

उपर्युक्त वर्णित कार्यो के अतिरिक्त पटवारी द्वारा अन्य कार्य भी निष्पादित किए जाते हैं :

(i) जनगणना सम्बन्धी कार्य,

(ii) भू–स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेज प्रमाणित करना,

(iii) अभिलेखों की नकल तैयार करना,

(iv) अल्प बचत लक्ष्य आपूर्ति में योगदान देना, तथा

(v) मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग देना।

इस प्रकार जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन में पटवारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि राजस्व प्रशासन में पटवारी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर्मचारी होता है। यहीं कारण है कि पटवारी पर नियत्रंण रखने की विधिक व्यवस्था भी की गयी है। पटवारी को प्रतिदिन किए गए कार्यो को एक डायरी में अंकित करना होता है। यदि पटवारी ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप कार्य नहीं किया हो तो उसके वेतन में कटौती कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त तहसील स्तर का एक कर्मचारी जिसे गिरदावर (राजस्व निरीक्षक) के नाम से जाना जाता है उसे पटवारी के कार्यों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

1. जिला व तहसील के मध्य एक प्रशासनिक स्तर का सृजन किया जाता है जिसे उप खण्ड कहा जाता है।
2. उप खण्ड के प्रमुख अधिकारी को उप खण्ड अधिकारी या एस. डी.ओ. या एस. डी. एम. कहा जाता है।
3. उप खण्ड अधिकारी के पद पर सामान्यतः राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है।
4. उप खण्ड अधिकारी न्यायिक, नियामकीय, दण्डनीय एवं प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी होता है।
5. राजस्व प्रशासन की अन्तिम महत्त्वपूर्ण इकाई को तहसील कहा जाता है।
6. तहसील कार्यालय में विभिन्न राजस्व प्रशासन के कार्मिक कार्य करते हैं।
7. तहसील कार्यालय का मुखिया तहसीलदार होता है जो कि राजस्थान तहसील सेवा का कार्मिक होता है।
8. तहसीलदार मुख्य रूप से राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त वह तहसील क्षेत्र में सामान्य प्रशासनिक कार्यों को भी निष्पादित करता है।
9. पटवारी पद नाम संभवतः मुस्लिम शासकों की देन है।
10. राजस्व कार्यों के लिए एक तहसील को कुछ पटवार सर्किल में विभाजित किया जाता हैं। पटवार सर्किल का प्रमुख कर्मचारी पटवारी होता है।
11. पटवारी के पद पर भर्ती जिलाधीश द्वारा राजस्व मंडल के नियमों के अनुसार की जाती है।
12. पटवारी मुख्य रूप से भू–अभिलेख संधारण व संरक्षण का कार्य करता है।
13. इसके अतिरिक्त राजस्व संबंधी अन्य कार्य भी पटवारी अपने क्षेत्र में निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी होता है।
14. सामान्य प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में भी पटवारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
15. पटवारी के पद पर अनुशासनहीनता की संभावना अधिक रहती हैं। इसलिए इस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए है।

6. उप खण्ड अधिकारी राजस्व के सन्दर्भ में किस श्रेणी का न्यायाधीश है?
7. उप खण्ड अधिकारी लोकसभा चुनाव में किस पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है?
8. नायब तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
9. किस वर्ष पटवारी पद को सरकारी पद माना गया है ?
10. पटवारी के प्रशिक्षण देने वाले केन्द्रों के नाम बताइए ।

लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. उप खण्ड प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
2. तहसील प्रशासन को संक्षेप में बताइए।
3. उप खण्ड अधिकारी के नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।
4. उप खण्ड अधिकारी के न्यायिक कार्यों को बताइए।
5. एक दण्ड नायक के रूप में उप खण्ड अधिकारी की भूमिका बताइये।
6. उपखण्ड अधिकारी के निरीक्षण सम्बन्धी कार्यों पर टिप्पणी लिखिए।
7. तहसीलदार पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानों को बताइए।
8. पटवारी के भू–अभिलेख सम्बन्धी कार्यों को संक्षेप में समझाएँ।
9. पटवारी के राजस्व सम्बन्धी कार्यों पर टिप्पणी लिखिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. उप खण्ड अधिकारी की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए।
2. तहसीलदार के कार्यों की विवेचना कीजिए।
3. उप खण्ड प्रशासन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
4. तहसीलदार की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
5. "पटवारी, राजस्व, प्रशासन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्मिक है।" स्पष्ट कीजिये?

उत्तरमाला

(1) द (2) ब (3) ब (4) ब (5) अ (6) स (7) अ (8) स (9) ब (10) अ